[2020] 7 एस.सी.आर. 150

मो. अनवर

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)

(आपराधिक अपील संख्या 1551 ऑफ 2010) 19 अगस्त, 2020

(एन. वी. रमन्ना, एस. अब्दुल नज़ीर और सूर्यकांत, न्यायमूर्तिगण)

दंड संहिता, 1860–धारा 394–शस्त्र अधिनियम, 1959–5. 25– अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पीड़ित–शिकायतकर्ता को हथियारों से लैस तीन लड़कों ने पकड़ लिया और उससे 30,000/– रुपये की वसूली की– एफआईआर दर्ज की गई, पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया और उन्होंने उक्त लूट करना कबूल कर लिया– उन्हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पहचान परेड के लिए पेश किया गया, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया – विचारणीय न्यायालय ने तीनों आरोपियों को लूट गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के तहत उन्हें दोष सिद्ध किया और उन्हें 7 साल के कठोर कारावास की सजा आईपीसी की धारा 397/34 के अंतर्गत, 5 वर्ष का सश्रम कारावास आईपीसी की धारा 392/34 के अंतर्गत 2 वर्ष का कठोर कारावास आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत निर्धारित की – उच्च न्यायालय द्वारा धारा 397 के बजाय धारा 394 में केवल दो साल के कठोर कारावास की सज़ा निर्धारित की गई। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि घटना के समय वह किशोर था और मानसिक विकार का इलाज करा रहा था – अवधारित: गवाहों की गवाही त्रुटिहीन और पुष्टिकारक थी – चोट पहुंचाकर लूट का अपराध स्थापित किया गया – शिकायतकर्ता का अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का कोई मकसद नहीं था – टीआईपी कार्यवाही में भाग लेने से इंकार करना निस्संदेह अपीलकर्ता के दोषी विवेक को स्थापित करता है – दिमाग की अस्वस्थता या उम्र की किशोरावस्था जैसी परिस्थितियों की दलील विचरण के समय दी जानी चाहिए थी। मुकदमे के दौरान जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या मेडिकल परीक्षण के रूप में कोई सबूत सामने नहीं लाया गया और न ही अपीलकर्ता द्वारा अपनी उम्र साबित करने के लिए किसी विशेषज्ञ परीक्षा की मांग की गई – इसके बजाय, धारा 313 दं. प्र. सं. के तहत दर्ज बयान से पता चलता है कि अपीलकर्ता 18 वर्ष से अधिक उम्र का था – इसके अलावा, मानसिक विकार की दलील भी निराधार रही – अपीलकर्ता का आचरण अपराध स्थल से भागना और उसके बाद भागने का प्रयास करना जैसा था मानसिक बुद्धि का ऊंचा स्तर दिखाता है, धारा 313 दं. प्र. सं. के अधीन उत्तर यांत्रिक या संक्षिप्त भी नहीं थे – इसके अलावा, अपीलकर्ता का अभिलेखों के अनुसार पता नही है – मानसिक बीमारी की दलील एक मनगढ़ंत कहानी है – नतीजतन, अपीलकर्ता के जमानतनामे रद्द कर दिए जाते हैं और विपक्षी–राज्य को अपीलकर्ता को उसकी शेष सजा काटने के लिए हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय द्वारा

अवधारित: 1. गवाहों की गवाही वास्तव में त्रुटिहीन है और एक दूसरे का समर्थन करती है। पीडब्लू–1 की गवाही और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों से चोट पहुंचाकर लूट का अपराध स्थापित किया गया है। शिकायतकर्ता (पीडब्लू–1) का अपीलकर्ता को झूठा फंसाने और/या वास्तविक दोषियों को छूट देने का कोई मकसद नहीं था। टीआईपी कार्यवाही में भाग लेने से इंकार करना और मौके पर कोई कारण न होना, निस्संदेह अपीलकर्ता के दोषी विवेक को स्थापित करता है और इसे पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। जैसा कि अपीलकर्ता ने अनुमान लगाया है, एफआईआर दर्ज करने में तीन दिन की देरी तथ्यात्मक आधार से

वंचित है। मूल रिकॉर्ड से विदित है कि शिकायत वास्तव में 18.05.2001 को घटना के कुछ घंटों के भीतर दर्ज की गई थी। यह प्रारंभिक पुलिस जांच के कारण था कि 20.05.2001 को रिपोर्ट करने और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बीच दो दिन और बीत गए। [पैरा 13][155–जी–एच: 156–ए–बी]

2. आईपीसी की धारा 84 के तहत मानसिक अस्वस्थता की दलीलें या कम उम्र की परिस्थितियों जैसे कि उम्र कम करने की दलीलें, आमतौर पर मुकदमे के दौरान ही उठाई जानी चाहिए। देर से किए गए दावे न केवल सबूतों के उचित उत्पादन और मूल्यांकन को रोकते हैं, बल्कि वे बचाव पक्ष के मामले की वास्तविकता को भी कमजोर करते हैं। [पैरा 14] [156–बी–सी]

3. जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या मेडिकल परीक्षण के रूप में कोई सबूत समक्ष नहीं लाया गया; न ही अपीलकर्ता द्वारा किसी विशेषज्ञ परीक्षण की मांग की गई है। इसके बजाय, बयान धारा 313 से पता चलता है कि घटना के समय अपीलकर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी, जो कि 15 वर्ष की दावा की गई आयु से बहुत दूर है। [पैरा 15][156–सी–डी]

4. मानसिक विकार की दलील भी निराधार है। किसी भी गवाह द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया, न ही अपीलकर्ता ने स्वयं अपने धारा 313 दं. प्र. सं. के बयान के तहत ऐसा कोई आधार लिया हैं। इसके विपरीत, 17.05.2001 को अपराध स्थल से भागने का उनका आचरण और साथ ही 20.05.2001 को बस से भागने का प्रयास मानसिक बुद्धि के ऊंचे स्तर का प्रमाण देता है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में दर्ज किए गए जवाब। 313 सीआरपीसी चरण भी यांत्रिक या संक्षिप्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अपीलकर्ता ने टीआईपी कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करते हुए यह आरोप लगाया कि पुलिस ने शिकायतकर्ता को उसका चेहरा पहले ही दिखा दिया था। [पैरा 16][156–ई–एफ]

5. केवल ओपीडी कार्ड की फोटोकॉपी और मां का बयान प्रस्तुत करना हलफनामे का, यदि कोई हो, साक्ष्यात्मक मूल्य बहुत कम है। आईपीसी की धारा 84 के तहत मानसिक अस्वस्थता के बचाव का सफलतापूर्वक दावा करने के लिए, अभियुक्त को संभावनाओं की प्रबलता से यह दिखाना होगा कि वह एक गंभीर मानसिक बीमारी या दुर्बलता से पीड़ित है जो व्यक्ति की सही और गलत में अंतर करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी विशेष रूप से अपराध के समय ऐसी विकलांगता से पीड़ित था और ऐसी हानि के बिना, अपराध नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार इन बचावों पर अविश्वास करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण तर्कसंगत और निर्विवाद हैं। [पैरा 17] [156–जी; 157–ए]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या.

1551 ऑफ 2010।

आपराधिक अपील संख्या 50/2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 22.02.2010 से।

आर.एस. सूरी, एएसजी, यूनुस मलिक, अनीश माहेश्वरी, सुश्री चित्रा चौधरी, कौशिक चौधरी, अमन मलिक, प्रशांत चौधरी, संजय कुमार त्यागी, बी.वी. बलराम दास, अनमोल चंदन, अधिवक्तागण उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

सूर्यकांत. न्यायमूर्ति।

1. वर्तमान आपराधिक अपील, जिसकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है, मोहम्मद अनवर के कहने पर हुई है। जिसने आक्षेपित निर्णय मो. अनवर बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) मे उठाया है।

[सूर्यकांत. न्यायमूर्ति।]

दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 22.02.2010 के फैसले के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करकरडूमा के दिनांक 27/29.04.2004 के फैसले के खिलाफ उनकी अपील, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 ("आईपीसी") की धारा 394 के तहत दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 को खारिज कर दिया गया।

तथ्य और केस इतिहास

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीड़ित–शिकायतकर्ता, तब्बन खान (पीडब्लू–1), 17.05.2001 को लगभग 11:30 बजे शाहदरा के पास मुख्य सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, जब वह एक मछली के तालाब के पास आराम करने के लिए रुका। अचानक, तीन लड़कों (अपीलकर्ता सहित) ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वे चाकू और रिवॉल्वर से लैस थे। जबरन वसूली पर, शिकायतकर्ता ने उन लड़कों को पांच–सौ रुपये के नोटों का एक बंडल दिया, जिनकी कुल कीमत लगभग तीस हजार (30,000 रुपये) थी, जिसके बाद उन्होंने चाकू मारकर उसकी हत्या करने पर विचार किया, ताकि वह मामले की शिकायत पुलिस में न करे। राहगीरों का शोर सुनकर तीनों लड़के शिकायतकर्ता को छोड़कर एक गोदाम की ओर भाग गए। इसके बाद शिकायतकर्ता अपने घर लौट आया और अगली शाम मामले की सूचना क्षेत्राधिकारी पुलिस को दी। इस शिकायत को बाद में 20.05.2001 को शाम 7:45 बजे एफआईआर में बदल दिया गया।

3. 20.05.2001 को रात लगभग 8:30 बजे एक पुलिस दल ने जीटी रोड के पास बसों की नियमित जांच के दौरान तीन लड़कों को पीछे के दरवाजे से चोरी–छिपे बस से उतरते देखा। संदेह होने पर, कांस्टेबल विनोद कुमार (पीडब्लू–4) और कांस्टेबल प्रकाश चंद (पीडब्लू–7) ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया, और अपीलकर्ता और उसके सह–अभियुक्त के पास से एक प्रतिबंधित बटनदार चाकू बरामद किया। उन्होंने वर्तमान शिकायतकर्ता को लूटने की बात भी कबूल की। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ("टीआईपी") के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया।

4. अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान बारह गवाहों से पूछताछ की, जिनमें ये भी शामिल हैं पीड़ित–शिकायतकर्ता (पीडब्लू–1), मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसने मांग की थी टीआईपी कार्यवाही (पीडब्लू–10) और कुल दस पुलिसकर्मी। रेखाचित्र चाकू, गिरफ़्तारी मेमो, साइट योजना और बरामद धन और हथियारों को साक्ष्य में स्वीकार किया गया। अपीलकर्ता और उसके सह–अभियुक्त ने स्पष्ट रूप से आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि पच्चीस हजार रुपये की रिश्वत देने में विफल रहने पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था। हालाँकि, उन्होंने बचाव में कोई सबूत नहीं दिया।

5. ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2020] 7 एस.सी.आर. का समर्थन न करने के कारण बचाव याचिका को खारिज कर दिया। सामग्री, और इसके अलावा गलत निहितार्थ की संभावना दूर–दूर तक पायी गई। ऐसा

पाया गया कि अभियोजन पक्ष के सभी बारह गवाह जिरह में खरे उतरे और उनकी गवाही को उत्कृष्ट बताया गया। ट्रायल कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक गवाह की अनुपस्थिति को असामान्य नहीं बताया। आरोपियों द्वारा टीआईपी कार्यवाही में भाग लेने से अनुचित इनकार करना अत्यधिक आपत्तिजनक और उनके अपराध को प्रमाणित करने वाला पाया गया।

6. इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ लूट का दोषी ठहराया और उन्हें आईपीसी की धारा 397/34 के तहत सात साल के कठोर कारावास, आईपीसी की धारा 392/34 के तहत पांच साल के कठोर कारावास और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना (या उसके बदले छह महीने का कारावास)।

7. अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसने आईपीसी की धारा 397 के तहत आरोप को खारिज कर दिया, और इसके बजाय उसे केवल दो साल के कठोर कारावास की कम सजा के साथ धारा 394 के तहत दोषी ठहराया। एक अन्य सह-आरोपी, मोहम्मद असलम को लूट के आरोप से बरी कर दिया गया क्योंकि शिकायतकर्ता का बयान संदिग्ध पाया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि एफआईआर के अनुसार तीन 'अज्ञात' व्यक्तियों ने पीड़ित को लूट लिया था, लेकिन पीडब्लू-1 ने अपनी जिरह के दौरान स्वीकार किया कि वह पहले से मोहम्मद असलम को जानता था जो उसके बच्चों का दोस्त था।

8. जहां तक वर्तमान अपीलकर्ता का सवाल है, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से नोट किया कि उसके द्वारा कोई दुश्मनी या गलत आरोप लगाने का मकसद पेश नहीं किया गया था, और अपराध में उसकी भूमिका के संबंध में गवाहों की गवाही में कोई विरोधाभास नहीं था। एफआईआर दर्ज करने में मामूली देरी को महत्वहीन माना गया, क्योंकि यह देर से हुई घटना थी और इसलिए पीड़ित से ऐसी आतंकित मानसिक स्थिति में पुलिस स्टेशन जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। रिवॉल्वर के उपयोग को एक सुधार माना गया क्योंकि इसका उल्लेख एफआईआर में नहीं किया गया था। अपीलकर्ता के पास किसी विशिष्ट हथियार की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, गंभीर चोट के साथ लूट या हत्या के प्रयास के आरोप हटा दिए गए।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष किशोरत्व और विकृतचित्त होने के नए तर्क उठाए। यह दावा किया गया कि मो. अनवर घटना के समय महज़ 15 वर्ष का था और उसका इलाज सरकारी अस्पताल में मानसिक विकार के लिए चल रहा था। इसका समर्थन ओपीडी कार्ड तथा अपीलकर्ता की मां की गवाही के द्वारा किया गया जिसमे उसने कहा था कि उसे कभी-कभी जंजीरों से बांधकर रखना पड़ता था ताकि खुद को और दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए। उच्च न्यायालय ने धारा313 सीआरपीसी की रिकॉर्डिंग के समय अपीलकर्ता की उम्र 21 वर्ष होने पर ध्यान दिया। मार्च 2004 में बयान दिया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता मई, 2001 में घटना के समय एक सक्षम दिमाग वाला व्यक्ति रहा होगा।

पक्षकारों का तर्क

10. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इन्हीं तर्कों को फिर से हमारे सामने रखा गया है। लूट के आरोप पर उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट के फैसलों की आलोचना करते हुए, उन्होंने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे सबूत के अपने भार का निर्वहन करने में विफल रहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र गवाहों की कमी, शिकायतकर्ता के शरीर पर चोटों का अभाव और साथ ही सह-अभियुक्त मोहम्मद असलम के बारे में शिकायतकर्ता के ज्ञान में असंगति, सभी ने मिलकर साबित किया कि लूट की कोई घटना कभी नहीं हुई थी। इसके अलावा, घटना स्थल से पुलिस स्टेशन पैदल दूरी पर होने के बावजूद, तीन दिनों की अस्पष्ट देरी के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, जिससे पता चलता है कि पूरी कार्यवाही मनगढ़ंत थी।

11. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने विभिन्न साक्ष्यों और बारह गवाहों की सुसंगत गवाही पर प्रकाश डालते हुए उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किशोरत्व और विकृतचित्त होने का देर से किया गया बचाव एक बाद का विचार था, और उच्च न्यायालय ने पहले ही सजा को सात से घटाकर दो साल करके एक उदार दृष्टिकोण अपनाया था।

विश्लेषण

12. सबसे पहले, इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि अपीलीय न्यायायलयों को किसी आपराधिक मामले में सबूतों की नियमित रूप से दोबारा समीक्षा नहीं करनी चाहिए। यह केवल प्रक्रिया, समीचीनता या अंतिमता के कारणों से नहीं है; लेकिन क्योंकि ट्रायल कोर्ट किसी गवाह के आचरण और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों की समग्र रूप से सराहना करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। लूट के प्रमुख पहलुओं पर नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को देखते हुए, हम इसे सबूतों के इस तरह के पुनर्मूल्यांकन के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाते हैं।

13. इसके अलावा, गवाहों की गवाही वास्तव में त्रुटिहीन और एक–दूसरे की पुष्टि करने वाली है। पीडब्लू–1 की गवाही और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों से चोट पहुंचाकर लूट का अपराध स्थापित किया गया है। शिकायतकर्ता (पीडब्लू–1) का अपीलकर्ता को झूठा फंसाने और/या वास्तविक दोषियों को छूट देने का कोई मकसद नहीं था। टीआईपी कार्यवाही में भाग लेने से इनकार और मौके पर, निस्संदेह अपीलकर्ता के दोषी विवेक को स्थापित करता है और होना भी चाहिए पर्याप्त आधार दिया गया। एफआईआर दज करने में तीन दिन की देरी, जैसे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक आधारहीन है। मूल रिकार्ड इससे पता चलता है कि शिकायत वास्तव में 18.05.2001 को के कुछ ही घंटों के भीतर दर्ज की गई थी। ऐसा पुलिस की प्रारंभिक जांच के कारण हुआ रिपोर्टिंग और उसके बाद 20.05.2001 को एफआईआर दर्ज करने के बीच दो दिन और बीत गए।

14. आईपीसी की धारा 84 के तहत मानसिक अस्वस्थता की दलील या शमन उम्र में किशोरवयता जैसी परिस्थितियों को आम तौर पर मुकदमे के दौरान ही उठाया जाना चाहिए। देर से किए गए दावे न केवल सबूतों के उचित उत्पादन और मूल्यांकन को रोकते हैं, बल्कि वे बचाव पक्ष के मामले की वास्तविकता को भी कमजोर करते हैं।

15. जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में कोई सबूत नहीं। स्कूल रिकॉर्ड या मेडिकल परीक्षण सामने लाया गया था; न ही अपीलकर्ता द्वारा किसी विशेषज्ञ परीक्षण की मांग की गई है। इसके बजाय, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान से पता चलता है कि घटना के समय अपीलकर्ता की उम्र 18 साल से ऊपर थी, जो कि 15 साल की दावा की गई उम्र से बहुत दूर है।

16. मानसिक विकार की दलील भी निराधार है। किसी भी गवाह द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया, न ही अपीलकर्ता ने स्वयं अपने धारा 313 सीआरपीसी बयान के दौरान ऐसी किसी हानि का दावा किया। इसके विपरीत, 17.05.2001 को अपराध स्थल से भागने का उनका आचरण और साथ ही 20.05.2001 को बस से भागने का प्रयास मानसिक बुद्धि के ऊंचे स्तर का प्रमाण देता है। धारा 313 सीआरपीसी चरण में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में दर्ज किए गए उत्तर भी यांत्रिक या संक्षिप्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अपीलकर्ता ने टीआईपी कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करते हुए यह आरोप लगाया कि पुलिस ने शिकायतकर्ता को उसका चेहरा पहले ही दिखा दिया था।

17. केवल ओपीडी कार्ड की फोटोकॉपी और हलफनामे पर मां के बयान का सबूत के तौर पर कोई महत्व नहीं है। आईपीसी की धारा 84 के तहत मानसिक अस्वस्थता के बचाव का सफलतापूर्वक दावा करने के

लिए, आरोपी को संभावनाओं की प्रबलता से यह दिखाना होगा कि वह एक गंभीर मानसिक बीमारी या दुर्बलता से पीड़ित है जो व्यक्ति की सही और गलत में अंतर करने की क्षमता को प्रभावित करेगा।" अश्वनी कुमार बनाम पंजाब राज्य, (2015) 6 एससीसी 308, 19।

? टीएन लक्ष्मैया बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 1 एससीसी 219, 9. इसके अलावा, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी विशेष रूप से अपराध के समय ऐसी विकलांगता से पीड़ित था और ऐसी विकलांगता के बिना, अपराध नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, इन बचावों पर अविश्वास करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण तर्कसंगत और निर्विवाद हैं।

18. इसके बावजूद और हमारे आपराधिक कानून न्यायशास्त्र के अंतर्निहित सिद्धांतों को देखते हुए, जो प्रक्रिया की सीमाओं पर वास्तविक न्याय की जीत का आदेश देता है, इस न्यायालय ने 22.07.2020 को विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से अनुरोध करके अपीलकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने की कोशिश की। अपीलकर्ता की मानसिक जांच की गई। हालाँकि, ऐसे प्रयासों के बावजूद, अपीलकर्ता, जिसे पहले इस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी, का पता नहीं चल पाया है। शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता पिछले आठ वर्षों से अपने दावे वाले पते पर नहीं रह रहा है, और यहां तक कि अपीलकर्ता के स्वयं के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है कि उसे पिछले दस वर्षों से अपने मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं मिला है। इस प्रकार हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है कि मानसिक बीमारी की दलील एक मनगढ़ंत कहानी के अलावा और कुछ नहीं है, और वास्तविकता से बहुत दूर है।

निष्कर्ष

19. अपीलकर्ता की किशोरता या विकृतचित् स्थापित करने में असमर्थता को देखते हुए, अपराध के संबंध में कोई संदेह उठाना; और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विस्तृत कारणों, बारह गवाहों की विश्वसनीय गवाही के साथ-साथ सजा में दिखाई गई उदारता पर विचार करते हुए, हमें आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है। अपीलकर्ता के जमानत नामे रद्द कर दिए जाते हैं और विपक्षी-राज्य को अपीलकर्ता को उसकी शेष सजा काटने के लिए हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है।

अपील खारिज।

Vetted by ssjalam, cj(sd)/ftc, sultanpur.